

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 85

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/ श्रावण 3,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलटों की कार्य स्थितियां

*85 डा. वी. शिवादासन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रचालित एयरलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय पायलटों, जो अक्सर अतिरिक्त समयावधि तक कार्य करने के लिए बाध्य हैं और जिन्हें कम वेतन दिया जाता है, की कार्यस्थितियों के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) सरकार द्वारा एयरलाइनों के कर्मचारियों की कार्यावधि और उनकी वेतन संबंधी चिन्ताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) तक: वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पायलटों की कार्य स्थितियां' से संबंधित राज्य-सभा के दिनांक 25.07.2022 के तारांकित (*) प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य।

(क) यह सुनिश्चित करने के बाद कि एयरलाइनें संबंधित नियमों तथा नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एयरलाइनों को एयर आपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) जारी करता है। डीजीसीए, एओसी का सतत रखरखाव करने के लिए तथा वार्षिक कार्यक्रम के द्वारा डीजीसीए के वार्षिक निगरानी कार्यक्रम के अधीन प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अपने मुख्य आधारभूत निरीक्षण, स्टेशन सुविधा, रैंप निरीक्षण, सेफ्टी ऑवरसाइट ऑफ फारेन एयरलाइंस (एसओएफओ), एक्सटेंडेड डायवर्जन टाइम आपरेशंस (ईडीटीओ), कॉकपिट इनरुट निरीक्षण, विनियामक लेखा-परीक्षा से एयरलाइन प्रचालकों की नियमित निगरानी करता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि वे नियमित रूप से विनियमों का पालन करते रहें, रखरखाव सुविधाओं की निगरानी भी डीजीसीए द्वारा की जाती है। उल्लंघन की स्थिति में, डीजीसीए एयरलाइनों तथा कार्मिकों के खिलाफ चेतावनी, निलंबन, वित्तीय दंडों सहित रद्दीकरण की प्रवर्तन कार्रवाई करता है। देश में एयरलाइन प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों का विवरण, अनुबंध के तौर पर संलग्न हैं।

(ख) डीजीसीए ने प्रचालन के आधार पर, अनेक नागर विमानन अपेक्षाओं में धारा 7 के अंतर्गत विमान कर्मियों के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं (एफडीटीएल) का निर्धारण किया है। ये विनियम, इकाओ (ICAO) मानकों तथा एफएए एवं ईएएसए की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित होते हैं। ये विनियम विमान कर्मियों के लिए अधिकतम ड्यूटी समय/उड़ान ड्यूटी समय/उड़ान समय तथा आराम के न्यूनतम समय का निर्धारण करते हैं।

इन विनियमों के आधार पर एयरलाइन प्रचालक अपनी एफडीटीएल योजना विकसित करते हैं जिसे डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एयरलाइनों को अनुमोदित एफडीटीएल योजना का अनुपालन करना आवश्यक है तथा यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पायलटों को उनके लिए निर्धारित सीमा से अधिक अथवा थके होने पर कार्य न दिया जाए। डीजीसीए, अनुमोदित एफडीटीएल योजना का प्रचालकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी/लेखा-परीक्षाएं भी पूरी करता है।

पायलटों के वेतन से संबंधित मामला डीजीसीए के कार्यक्षेत्र से बाहर है, चूंकि यह रोजगार के अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होता है, जो विशुद्ध रूप से नियोक्ता-कर्मचारी से संबंधित मामला है।

(ग) डीजीसीए ने विमान रखरखाव कार्मिक (एएमपी) के ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (डीटीएल) से संबंधित 2019 का उड़नयोग्यता परामर्श परिपत्र (एएसी) सं. 5 जारी किया है। डीजीसीए संगठन की लेखा परीक्षा के दौरान एमओई/प्रक्रिया मैनुअल/सीएएमई आदि की अनुमोदित प्रक्रिया के अनुपालन का सत्यापन करता है और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करता है। यह एएसी विमान रखरखाव कार्मिकों (एएमपी) यथा (i) प्रमाणित करने वाला कार्मिक/स्टाफ (एएमई), (ii) तकनीशियन, (iii) पर्यवेक्षक, (iv) प्रबंधक, (v) योजनाकार, (vi) रखरखाव संगठन में कार्यरत कार्मिकों पर लागू है।

एयरलाइन के अन्य कर्मचारियों में, जिनके कार्य के घटों को डीजीसीए द्वारा शासित किया जाता है, वे केबिन कर्मी दल हैं। डीजीसीए ने केबिन कर्मी दल के एफडीटीएल के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 7, श्रंखला ज, भाग । के अधीन पृथक विनियम निर्धारित किए हैं। डीजीसीए केबिन कर्मी दल के लिए अधिकतम ड्यूटी समय/उड़ान ड्यूटी समय/उड़ान समय तथा आराम के न्यूनतम समय हेतु लागू विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से एयरलाइनों की निगरानी/लेखा-परीक्षाएं संपादित करता है।

एयरलाइन कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामला डीजीसीए के कार्यक्षेत्र से बाहर है, चूंकि यह रोजगार के अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होता है, जो विशुद्ध रूप से नियोक्ता-कर्मचारी से संबंधित मामला है।

“पायलटों की कार्य स्थितियां” के संबंध में दिनांक 25.07.2022 कोदिए जाने वालेराज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

अनुबंध

देश में प्रचालनरत एयरलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए द्वारा अपनाए गए उपाय।

- आईसीएओ (इकाओ) मानकों और अनुशंसित प्रथाओं का पालन: वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अंतर्गत सरकार का दायित्व है कि वह शिकागो समझौते और उसके अनुबंधों का पालन करे। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने उन नियमों को प्रछापित किया है जो शिकागो समझौते के विभिन्न अनुबंधों में निहित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं पर आधारित हैं। डीजीसीए ने इकाओ के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुपालन में नागर विमानन अपेक्षाएं निर्धारित की हैं। ये नागर विमानन अपेक्षाएं, वायुयान नियमावली, 1937 और वायुयान अधिनियम, 1934 के अनुसार तैयार की गई हैं।
- डीजीसीए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे प्रासंगिक नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, एयरलाइनों को विमान प्रचालन प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
- वार्षिक निगरानी कार्यक्रम: नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइंस विनियमों का पालन करना जारी रखें। डीजीसीए द्वारा की जाने वाली निगरानी में, एयरलाइंस की निगरानी और नियामक लेखा-परीक्षा शामिल हैं। डीजीसीए एयरलाइनों का औचक/स्पॉट जाँच भी करता है। डीजीसीए का वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (एएसपी) वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है और डीजीसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित डीजीसीए के सभी निदेशालय, एएसपी के अनुसार अपने-अपने तकनीकी क्षेत्रों में निगरानी/स्पॉट जाँच करते हैं। इसके अलावा कथित जोखिम के अनुसार, विशेष लेखा-परीक्षाएं भी की जाती हैं। यदि लेखापरीक्षा/निगरानी के दौरान नियमों का कोई भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन पाया जाता है तो डीजीसीए द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई सहितवितीय दंड लगाया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रचालक को सूचित किया जाता है। पता लगाये गये निष्कर्षों पर प्रचालक द्वारा की गई कार्रवाई समाप्त करने से पहले डीजीसीए द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की 100% निगरानी: नागर विमानन अपेक्षाओं के माध्यम से डीजीसीए ने, सभी अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालकों और प्रमुख गैर-अनुसूचित प्रचालकों, जिनके पास <https://www.staffnews.in>

डीएफडीआर से लैस विमान हैं जो निर्धारित सीमाओं से उड़ान मानकों में अधिकता निर्धारित करने के लिए सभी उड़ानों के उड़ान डेटा की निगरानी के लिए अनिवार्य हैं, का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह उड़ान चालक दल द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।

- दुर्घटना/घटना डेटा का विश्लेषण: दुर्घटना/घटना डेटा का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के आधार पर, दुर्घटनाओं/घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियों/निष्कर्षों को प्रचालकों के संज्ञान में लाने के लिए विमान सुरक्षा परिपत्र और वार्षिक सुरक्षा समीक्षा जारी की जाती है।
- सुरक्षा अनुशंसाओं की जांच: दुर्घटनाओं/गंभीर घटनाओं/घटनाओं की जांच वायुयान (दुर्घटनाओं तथा घटनाओं की जांच) नियमावली 2017 के प्रावधान के अनुसार की जाती है। जांच रिपोर्ट से निकलने वाली सुरक्षा सिफारिशों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु आगे की कार्यवाही की जाती है ताकि, भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- दुर्घटना या गंभीर घटनाओं का नियामक मूल्यांकन: वायुयान (दुर्घटनाओं तथा घटनाओं की जांच) नियमावली 2017 के तहत जांच के अलावा, डीजीसीए किसी दुर्घटना या गंभीर घटना के बाद स्थापित/अनुमोदित प्रक्रियाओं से विचलन की पहचान करने, वायुयान नियमावली, 1937 के प्रावधानों के तहत सेवा प्रदाता को दिया गया अनुमोदन या प्रमाण पत्र और डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त कर्मियों/अनुमोदन धारक की योग्यता और विनियमों की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, नियामक मूल्यांकन करता है। विनियामकमूल्यांकन के परिणाम के आधार पर, प्रवर्तन कार्रवाई सहित निवारक उपाय, जैसा भी मामला हो, किए जाते हैं।
- एफडीटीएल की निगरानी, प्रशिक्षण, चिकित्सा और लाइसेंस वैधता: सभी एयरलाइनों के लिए चालक दल ड्यूटी समय सीमा, उनके प्रशिक्षण और योग्यता, चिकित्सा और लाइसेंस वैधता से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। इनकी निगरानी डीजीसीए द्वारा निगरानी और स्पॉट चेक गतिविधियों के दौरान की जाती है। एयरलाइनों को उपरोक्त के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो प्रचालन उड़ानों के लिए वैधता, एफडीटीएल आदि के संबंध में चालक दल के रिकॉर्ड की तत्काल निगरानी की अनुमति देता है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO : 85
(TO BE ANSWERED ON THE 25th July 2022)

WORKING CONDITIONS OF PILOTS

*85. DR. V. SIVADASAN

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

- (a) the measures adopted by Government and Directorate General of Civil Aviation (DGCA) to ensure safety of airlines operating in the country?
- (b) whether Government had conducted any study regarding the working conditions of Indian pilots who are often forced to work extra hours and are paid low wages? and
- (c) the measures adopted by Government to address the concerns of the staff of airlines regarding working hours and salary?

ANSWER

MINISTER OF CIVIL AVIATION

(Shri Jyotiraditya M. Scindia)

- (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement referred in reply to Part (a) to (c) of Rajya Sabha Starred Question No. 85 regarding "Working Conditions of Pilots" to be answered on 25.07.2022.

(a) Directorate General of Civil Aviation (DGCA) grants Air Operator Certificate(AOC) to airlines after ensuring that they comply with the requirements as laid down in relevant rules and Civil Aviation Requirements (CARs). DGCA carries out regular surveillance of airline operators through main base inspection, station facility, ramp inspection, Safety Oversight of Foreign Airlines (SOFA), Extended Diversion Time Operations (EDTO), cockpit enroute inspection, regulatory audit to ensure continuous maintenance of AOC and to ensure safety of operations under the Annual Surveillance Programme of DGCA. In addition, surveillance of maintenance facilities is also carried out by DGCA to ensure that they continue to meet the regulations. In case of violations, DGCA takes enforcement action against airlines and personnel in the form of warnings, suspension, cancellation including financial penalties. The measures adopted by DGCA to ensure safety of airline operation in the country is at Annexure.

(b) DGCA has laid down flight duty time limitations (FDTL) for flight crew in various CARs under Section 7 based on the type of operation. These regulations are based on ICAO standards and international best practices of FAA and EASA. The regulations stipulates maximum Duty period/ flight duty period/ flight time and minimum rest requirements for flight crew.

Based on these regulations, airline operator develop their FDTL Scheme which is approved by DGCA. The airline is required to ensure adherence to the approved FDTL Scheme and ensure that the pilots are not assigned work beyond the limits prescribed therein or under fatigue. DGCA carries out surveillance/ audits to ensure operator's compliance with the approved FDTL Scheme.

The matter related to wages of pilot is beyond the purview of DGCA as the same is governed by terms of contract of employment, which is purely employer-employee related matter.

(c) DGCA has issued Airworthiness Advisory Circular (AAC) no. 5 of 2019 regarding Duty Time Limitation (DTL) of Aircraft Maintenance Personnel (AMP). DGCA verifies the adherence of approved procedures of MOE/ Procedure Manual/ CAME etc. during audit of organization and takes actions, if any lapses are observed. The AAC is applicable to the Aircraft Maintenance Personnel (AMP) viz (i) Certifying personnel/Staff (AME), (ii) Technicians, (iii) Supervisors, (iv) Managers, (v) Planners, (vi) Persons working in the maintenance Organization.

Among the other staff of airline, whose working hours are governed by DGCA are Cabin Crew. DGCA has laid down separate regulation for FDTL of Cabin Crew under CAR Section 7, Series J, Part I.DGCA carries out regular surveillance/ audits of airlines to ensure compliance towards applicable regulations for maximum Duty period/ flight duty period/ flight time and minimum rest requirements for Cabin crew.

The matter related to salary of airlines staff is beyond the purview of DGCA as the same is governed by terms of contract of employment, which is purely employer-employee related matter.
